न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 16/2023 तारीख दायर :—05.07..2023 दिनांक निर्णय :—04.08.2023

पटवारी हल्का राजपुरबड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

सुरेश पुत्र रामजीलाल जाति खटीक निवासी बड़ा राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम—1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राजपुरबड़ द्वारा राजस्व ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2273/593 रकबा 0.22 है0 के भाग 0.02 है0 चारागाह भूमि पर पक्का दुकान व चार दीवारी का निर्माण कर अप्रार्थी सुरेश पुत्र रामजीलाल जाति खटीक निवासी बड़ा राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी उपस्थित रहा तथा नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जवाब में अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर में अतिकमण किया जाना स्वीकार किया है एंव अतिकमित भूमि को नियमन किया जाने का निवेदन किया है। किन्तु उक्त अतिकमित भूमि की किस्म चारागाह है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आती है। जिसे नियमन नहीं किया जा सकता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:—

अतिक्रमी श्री सुरेश पुत्र रामजीलाल जाति खटीक निवासी बड़ा राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2273/593 रकबा 0.22 है0 के भाग 0.02 है0 चारागाह भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का राजपुरबड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 04.08.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पे. पेनल्टी 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार